International Journal of Applied Research 2021; 7(6): 179-185

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(6): 179-185
www.allresearchjournal.com
Received: 28-04-2021
Accepted: 30-05-2021

मनोज कुमार रावत
शोध छात्र समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. एस.एम. मिश्रा
प्राध्यापक समाजशास्त्र, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
मनोज कुमार रावत
शोध छात्र समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

सीधी जिले में अनुसूचित जनजातियों का स्वरूप : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

मनोज कुमार रावत, डॉ. एस.एम. मिश्रा

सारांश
प्रस्तुत शोध अनुसूचित जनजाति में सामाजिक गतिशीलता का एक सामाजिक अध्ययन है। यद्यपि समकालीन अनुसूचित जनजाति समुदाय जिस संक्रमणकालीन एवं बदलाव की स्थिति से होकर गुजर रहा है, इनमें सामाजिक परिवर्तन के चलते मूल संस्कृति विलुप्त होने के कगार पर है, पश्चिमी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभाव सम्पूर्ण भारतीय समाज के साथ ही जनजातियों पर पड़ा है, साथ ही संक्रमणकालीन स्थिति के लिए एक प्रमुख पक्ष विकास की भी समस्या है। आजादी प्राप्ति के पश्चात अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं इनके सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रयास किये गये हैं। इस नियोजित प्रयास के अतिरिक्त परिवर्तन की नवीन शक्तियां भी जनजाति समुदाय को प्रभावित कर रही है, सामाजिक परिवर्तन और विकास की इस नवीन सादृश्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय की निरंतरता, स्थायित्व एवं अस्थिरता का प्रश्न आदिवासी अध्ययन का केन्द्रीय विषय बन गया है।

कूटशब्दः सीधी जिला, अनुसूचित जनजाति, स्वरूप, समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रस्तावना

देश एवं प्रदेश की भांति अध्ययन क्षेत्र सीधी जिले में सदियों से जंगलों व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, वनांचलों में रह रही अनुसूचित जनजातियों ने खुले मैदानों तथा सभ्यता के केन्द्रों, नगरीय क्षेत्रों में बसे लोगों से अधिक सम्पर्क स्थापित किए बिना ही अपने अस्तित्व को बनाये रखा है, यद्यपि भारत की स्वतंत्रता ने सम्पूर्ण दृश्य लेख को परिवर्तित कर दिया, अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों में क्रमशः सामाजिक व आर्थिक बदलाव आ रहा है। मध्यप्रदेश के सीधी जिले की जनजाति में भी देश एवं प्रदेश के विभिन्न जिलों में निवासरत जनजातियों की भांति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तन आ रहा है किंतु जिले में वर्तमान जनजातीय स्थिति को सर्वाधिक धनात्मक विशेषता यह है कि जनजातीय समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की आवश्यकता के प्रति जागरूक हो रहा है तथा उसके प्रति अत्यंत क्रियाशील है, किंतु उनकी यह मांग उचित है कि प्रगति और उन्नति उनके जीवन की विशिष्ट जीवनशैली व सामंजस्य को उपपठित न करे। वे अधिकार अपनी निजी संस्थाओं द्वारा ही सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। एक जनजातीय गृह तथा परिवार वह मूल आधार है, जिस पर उसके कल्याण का भावी निर्मित हो सकता है। ऐसी स्वतंत्रता जो उन्हें इस बात का निर्णय करने का आजादी नहीं देते कि वह अपने विकास को कैसे तथा किस उद्देश्य के लिए संगठित करेंगे उनके लिए नितांत अर्थहीन है, वह है राष्ट्रीय तथा जनजातीय हितों में सामंजस्य स्थापित करना। इस प्रकार का सामंजस्य सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस समस्या में अंतर्निहित प्रश्न अत्यधिक संवेदनशील से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस समस्या में अंतर्निहित प्रश्न अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों का स्पर्श करते हैं तथा जरा सा गलत निर्वाह हिंसात्मक प्रतिक्रिया का आहवान कर सकता है। श्यामाचरण पुने ने यह कहते हुए एक यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है कि जनजातियों को भारतीय समाज में अपने सम्मान के अनुरूप अपने लिये एक स्थान की खोज करनी होगी किंतु यह एक राष्ट्र के रूप में भारत की एकता अथवा शक्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाये बिना करना होगा। जनजातियों को एक विकासशील समाज की बढ़ती हुई स्पर्धा का सामना करने योग्य बनाना होगा तथा अनिश्चित भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उनके सामर्थ्य को विकसित करना होगा। [1]

हम एक नये युग की दहलीज पर खड़े हैं। भारतीय समाज के अन्य सदस्यों के साथ जनजातीय लोगों ने भी इस युग में प्रवेश किया है। किंतु वे किसी को अपने जीवन समन्वयता भंग करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है। वे नियोजकों, प्रशासकों तथा सामान्य जनमानस की ओर से

अपना जीवन लोकरीतियों तथा समस्याओं के प्रति बेहतर, संवेदनशीलता व सराहना की अपेक्षा करते हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश अन्तर्गत रीवा संभाग के सीधी जिले की अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक गतिशीलता का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है। अध्ययन क्षेत्र सीधी जिला मध्यप्रदेश के पूर्वोत्तर में एवं वन सम्पदा और प्राकृतिक सुन्दरता से परिपूर्ण जिला है जहां पर अनुसूचित जनजातीय समाज के लोगों की संस्कृति, रीति–रिवाज, लोककला, नृत्य, संस्कार, रहन–सहन, सामाजिक परम्पराएं, धार्मिक मान्यताएं, भौतिक संस्कृति, बघेली भाषा यहां की एक अलग पहचान बनाये हुए हैं, सदियों से जनजातियां अपनी कला एवं सांस्कृतिक धरोहर का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। अनुसूचित जनजातियों का संकेन्द्रण जिले के सभी विकासखण्डों में पाया जाता है किंतु सीधी जिले का कुसमी विकासखण्ड जो सम्पूर्ण रीवा संभाग का एक मात्र आदिवासी विकासखण्ड है जहां 70 प्रतिशत आबादी गोड़, पनिका, अगरिया, बैगा, खैरवार, कोल, रावत, माझी, मरावी, मरकाम, टेकाम, कुशराम, नेताम आदि जाति उप जनजाति गोत्र के जनजाति समाज के लोगों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की विशेषता एक विशेष महत्व रखती है। उक्त जनजातियों के समाज व संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता, शिक्षा, औद्योगीकरण व नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति तथा संचार के आधुनिक संसाधनों के विकास का गहरा प्रभाव पड़ने से जनजातियों में द्रुत गति से सामाजिक गतिशीलता आ रही है। उपरोक्त सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव जनजातियों की सामाजिक गतिशीलता, उनकी अर्थव्यवस्था, शिक्षा, राजनीतिक परिदृश्य, रहन–सहन आदि पर प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है।

जिले की जनजातियां अपने मूल व्यवसाय को छोड़कर देश एवं प्रदेश के नगरों, महानगरों की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। अधिकांश अनुसूचित जनजाति समाज के युवा/युवतियां देश के विभिन्न भागों में शासकीय/अर्द्धशासकीय व निज संस्थानों में अपनी सेवायें दे रहे हैं, साथ ही जनजाति समाज से जुड़े परिवार के लड़के–लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेन्टरों में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिले के अंतर्गत उच्च शिक्षित युवा वर्ग निःशुल्क शिक्षा, शोध छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग सुविधा, निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के उद्देश्य से अपनी पढ़ाई करते हुए शासन–प्रशासन की जनजातियों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन एवं जनहितकारी कार्यक्रम, नीतियों का लाभ उठा रहे हैं। जिले में आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के छात्र–छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इनके लिए स्वरोजगार, कैरियर मार्गदर्शन, निःशुल्क स्टेशनरी, बुक बैंक योजना, गांव की बेटी योजना, शोध छात्रवृत्ति, आवास योजना, यात्रा भत्ता आदि योजनाओं का लाभ दिया जाता है। जिले के विभिन्न विकासखण्डों में एकलब्य आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी छात्रावास, कन्या व बालक छात्रावास की सुविधा जनजाति समाज से सम्बन्धित छात्रों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है।

पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सीधी जिले की जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयास किये गये। विकास कार्यक्रमों में आर्थिक उन्नयन के कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम एवं अन्त्योदय योजनाएं प्रमुख थी। अन्त्योदय योजनाओं के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े लोगों के उत्थान के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने 1990 में 13 अंत्योदय योजनायें प्रारम्भ की जो निम्नानुसार है – नवजीवन बसुन्धरा, जलजीवन, स्वावलम्बन, पवनपुत्र, मधुवन, निर्मित सहकार रफ्तार, वनजा, धनवंतरि, पाप निकेतन, सहारा आदि योजनाओं का लाभ मिला है। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिये न केवल अलग के बजट का आवंटन किया जाता रहा बल्कि समस्त विकास कार्यक्रमों के आवंटन में भी आनुपातिक रूप में इनका हिस्सा मिलता रहा। अतः समय के साथ इनके रहन–सहन एवं जीवन स्तर में विकास स्वाभाविक है। 1951 एवं 1991 वर्षों की तुलनात्मक विवेचना से स्पष्ट होता है कि समूचे भारत में जनजातीय जनसंख्या में वृद्धि हुयी है। यद्यपि वृद्धि का आकलन नवीन जातियों को जनजातियों की परिधि में शामिल करना रहा है। फिर भी प्रमुख जनजातियों के जनसंख्या सम्बन्धी सूचक आंकड़े वृद्धि की ओर संकेत करते हैं।

विधि तंत्र

प्रस्तुत अध्ययन में सम्पूर्ण सीधी जिले की अनुसूचित जनजातियों को सीमांकित करते हुए जिले की जनजातियों को समग्र मानकर सीधी जिले के कुल 05 पांच विकासखण्डों के प्रत्येक विकासखण्ड के 6–6 आदिवासी बाहुल्य ग्रामों से 10–10 अनुसूचित जनजाति के परिवारों के मुखिया का चयन साक्षात्कार हेतु किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में जिले के कुल पांच विकासखण्डों को अध्ययन की प्रमुख इकाई मानकर अनुसूचित जनजाति के परिवारों का साक्षात्कार हेतु चयन कर सामाजिक गतिशीलता से जुड़े तथ्यों का उत्तरदाताओं से सूचनाओं का संकलन एवं प्राथमिक आंकड़ों का सृजन किया गया। निदर्शन विधि द्वारा चयनित सभी विकासखण्डों से कुल 30 ग्रामों से कुल 300 अनुसूचित जनजाति के परिवारों से लिये गये साक्षात्कार से प्राप्त उत्तर को आधार मानकर प्राथमिक सूचनाओं का तथ्यात्मक वर्णन किया गया है।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अध्ययन का आधुनिक युग में आरम्भ भारत देश की प्रथम जनगणना वर्ष 1981 से ही हो गया था। [2] किंतु ज्ञान की विभिन्न विधाओं में देश की विभिन्न अनुसूचित जनजातियों का अध्ययन वर्ष 1924 के बाद प्रारम्भ होता है। स्मिथ [3] महोदय 'आओ नागा' पर अपना व्यवस्थित अध्ययन किया, स्मिथ के बाद 'हट्टन' [4] महोदय (सन् 1938) जनजातियों के नृतात्विक अध्ययन प्रस्तुत किए। जनजातियों के सुव्यवस्थित अध्ययन का शुभारम्भ वेरियर 'एल्विन महोदय' [5] (1939) द बैगा ट्राइब्स से प्रारम्भ होता है, जिसमें वेरियर एल्विन महोदय ने भारत वर्ष के हृदय प्रदेश में स्थित राज्य मध्य भारत में निवास करने वाली बैगा जनजाति के सामाजिक संरचना का अध्ययन प्रस्तुत किया। अनुसूचित जनजातियों (मसकरे, शैलवन्ती, 2016) [6] के सम्बन्ध में इसी प्रकार के अध्ययन भारत के विभिन्न सुदूर क्षेत्रों, वनांचलों में निवास करने वाली जनजातियों के सामाजिक संरचना, उनकी आर्थिक व्यवस्था, खान–पान, रीति–रिवाज, वेश–भूषा, विवाह प्रथा, क्रियाकलापों पर शोध अध्ययन प्रस्तुत करते हुए इनकी संस्कृति को प्रकाश में लाने तथा संरक्षण हेतु अपने सुझाव समय–समय पर विद्वानों द्वारा दिये गये हैं।

जिले की जनजाति का परिचय

जनजाति की दृष्टिकोण से भारत में वर्ष 2011 की जनगणना 104281034 (8.6 प्रतिशत) अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पायी जाती है तथा जनजातीय जनसंख्या की दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश सम्पूर्ण देश का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। यहां वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 15316784 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति समाज के लोग निवासरत है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.10 प्रतिशत भाग है। जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टिकोण से देश और प्रदेश की तुलना में अध्ययन क्षेत्र सीधी जिले में यह प्रतिशत काफी अधिक है। जिले में कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत भाग अनुसूचित

जनजातियों का है। वर्ष 2011 के आंकड़े के अनुसार सीधी जिले में 313304 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति समाज के निवासरत हैं। जिले में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कुसमी विकासखण्ड में 60 प्रतिशत से अधिक पायी जाती है। साथ ही अन्य विकासखण्डों में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः सिहावल 19.72, मझौली 32.62, रामपुर नैकिन 22.43, सीधी विकासखण्ड में 30.75 प्रतिशत आबादी जनजातियों की पायी गई है।[7]

वर्तमान समय में जिले के सभी पांचों विकासखण्ड में गोड़, पनिका, अगरिया, कोल, खैरवार, बैगा, मरावी, मरकाम, टेकाम आदि जनजाति/उप जनजाति के लोग निवास करते हैं। जिले की सबसे बड़ी प्रमुख एवं सर्वाधिक जनसंख्या गोड़ जनजाति की पायी जाती है। इन जनजातियों को बहुत सी उपजातियों में विभाजित है जो स्वयं अपने आप में एक जनजाति समूह बनाती है। जिले की सभी जनजातियों की मुख्यतः सामान्य विशेषताएं पायी जाती है। ये जनजातियों का आवास आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में वनांचल एवं परिवहन के साधन की दृष्टिकोण से परिपूर्ण नहीं है। आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड कुसमी अन्तर्गत 70 प्रतिशत गांव जहां शत प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या निवासरत पायी गई है, जिले के सभी 05 विकासखण्डों में से कुल 30 आदिवासी बाहुल्य ग्रामों का क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान किये गये सर्वेक्षण साक्षात्कार से प्राप्त प्राथमिक सूचनाओं से स्पष्ट होता है कि यहां की अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन के चलते तीव्र गति से बदलाव आया है। जिले के कुसमी विकासखण्ड में क्षैतिज और उदग्र उक्त दोनों प्रकार की सामाजिक गतिशीलता ज्ञात हुई है। संचार के साधनों का विकास एवं प्रचार–प्रसार, शिक्षा के स्तर में सुधार, आवागमन की सुविधाओं में विस्तार, औद्योगीकरण का विस्तार, नगरीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि के चलते तीव्र गति से सामाजिक गतिशीलता की स्थिति में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार जिले की कुछ प्रमुख जनजातियों का परिचय एवं संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है[8] –

(1) गोड़ जनजाति

गोड़ जनजाति केवल सीधी जिले व प्रदेश की नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत वर्ष की सबसे बड़ी प्रमुख एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है जो सम्पूर्ण जिले के सभी क्षेत्र में पायी जाती है। मध्यप्रदेश में यह जनजाति सोन घाटी, बघेलखण्ड पठार, नर्मदा घाटी, विन्ध्य क्षेत्र सतपुड़ा क्षेत्र में निवासरत है। गोड़ जनजाति की जिले में सर्वाधिक जनसंख्या जनजातीय विकासखण्ड कुसमी में पायी गई है। गोड़ जनजाति की उपजाति जैसे परधान, अगरिया, मरावी, टेकाम, खैरवार आदि है। गोड़ शब्द की उत्पत्ति तेलगू भाषा के कोड शब्द से हुई है नृतात्व शास्त्रियों के अनुसार गोड़ जनजातियों का रक्त मिश्रण हिन्दुओं से हो चुका है, सामान्यतः गोड़ों के शरीर की त्वचा काली, बाल काले और रूखे होते हैं। दाढ़ी और मूंछो में बाल बहुत कम होते हैं। नाक बड़ी और फैली हुई होती है, शारीरिक गठन संतुलित होता है।

गोड़ जनजाति कृषि व शिकार तथा वनोपज से अपना जीवनयापन करते हैं। शिकार के अतिरिक्त फल–फूल कन्द आदि को भी जंगलों से एकत्र कर जीविका चलाते हैं। ये लोग अपने भोजन में आम, आंवला, जामुन, महुआ, मछलियों, चावल तथा कंदमूल का प्रयोग करते हैं। ये वस्त्रों का प्रयोग कम करते हैं। पुरूष छोटा सा कपड़ा टांगों को ढकने के लिए पहनते हैं। कभी–कभी सिर पर भी एक टुकड़ा बांध लेते हैं। कुछ लोग पेट और पीठ के लिए नहीं भी पहनते हैं। स्त्रियां चोली आदि नहीं पहनती हैं। उनकी छाती का भाग खुला होता है, कभी–कभी ये मोर के पंख या जानवरों के सींग भी लगाते हैं। स्त्रियां शरीर पर अनेक जेवर पहनती हैं। अधिकांश गोड़ झोपड़ियों में रहते हैं। इनकी झोपड़ियां घास–फूस और बांस की खपच्चियों से बनी होती है। इनकी दीवारें मिट्टी और गोबर से लीप ली जाती है। गोड़ में संयुक्त परिवार और वैयक्तिक परिवार दोनों का ही प्रचलन है। विवाह कई प्रकार के होते हैं। गोड़ों में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन के लड़के का विवाह प्रचलित है। इसे दूध लौटावा कहते हैं। कभी–कभी अपहरण क्रिया द्वारा भी विवाह सम्पन्न होते हैं। गोड़ों में विधवा विवाह का प्रचलन है। इनका धर्म आत्मवाद और जादुई क्रियाओं के चारों ओर केन्द्रित है।

(2) बैगा जनजाति

यह जनजाति मध्यप्रदेश के सीधी जिले की प्रमुख जनजाति है। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में इनकी संख्या 322936 व्यक्ति है। दिमा एवं हीरालाल इन्हें टीटा नागपुर की आदिम जनजाति भुवया की मध्यप्रदेशीय शाखा मानते हैं, जिन्हें बाद में बैगा कहा जाने लगा है। भुइया (भुइ पृथ्वी) और भूमिज (भूमि पृथ्वी) समानार्थी है तथा भूमि से सम्बन्धित बोध कराते हैं। मध्यप्रदेश के इन लोगों के बाद में आये हुए गोड़ों ने बैगा कहा।

शारीरिक लक्षण – बैगा आदिवासियों की शाखाएं जिंझवार, भरोतिया, नरोतिया, राममैना, कठमैना, कोडमान या कंडी या गोंडमैना आदि। बैगा लोगों का रंग काला होता है। इनका शरीर रूक्ष होता है। ये लोग सिर के बाल नहीं कटवाते हैं।

भील – बैगा लोग प्रायः माँस, मोटे अनाज, फल एवं कंदमूल खाते हैं। विभिन्न अवसरों पर सुअरों की बलि दी जाती है। सुअरों को मारने का तरीका विचित्र है। पहले एक गड्ढे में गरम पानी डाला जाता है। इसके बाद उसमें सुअर डाल देते हैं। जब वह चिल्लाता है तब बैगाओं की स्त्रियां गीत गाती है। जब उसका चिल्लाना बंद हो जाता है तो कुल्हाड़ी से उसे मार दिया जाता है। जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते हैं। ये लोग धूम्रपान भी करते हैं। अधिक उन्नत बैगा गाय का मांस नहीं खाते हैं।

वस्त्राभूषण

बैगा जनजाति के पुरूष कम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ये लोग अपनी कमर में लंगोटी पहनते हैं। स्त्रियां एक छोटी धोती पहनती है जो कमर के सहारे घुटनों तक नीचे लटकी रहती है। इसका एक भाग सीने के ऊपर डाल लेती हैं। यह धोती कपची कहलाती है। इन लोगों को आभूषण पहनने का भी शौक है, स्त्रियां, गहने किसी भी सस्ती धातु के पहनती है। गले में सुतिया तथा हमेल पहने जाते हैं तथा पैरों में घुंघरू तथा पैर की अंगुलियां में चटकी पहनी जाती है। स्त्रियां विवाह के समय खड़ाऊनुमा वस्त्र पहनती हैं, ये सिर के बालों पर कुंदरों का प्रयोग करती हैं।

मकान

बैगा लोगों के मकानों की दीवारें बांस की बनी होती है। इन पर मिट्टी का लेप कर दिया जाता है। मकानों में खिड़कियां नहीं होती हैं। इनमें खपरैल की जगह घास फूस का प्रयोग किया जाता है। मकानों में दरवाजा बहुत छोटा होता है, जिसमें झुककर प्रवेश करना पड़ता है। इनका रसोईघर इतना बड़ा होता है कि वह शयनकक्ष का भी काम देता है।

अर्थव्यवस्था

इनकी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। ये लोग प्रमुखतः समिंग कृषि करते हैं। वनों की समतल भूमि के वृक्षों को गिरा दिया जाता है तथा सूखने पर आग लगा दी जाती है। जब आग बुझ जाती है तो राख में कोदो, कुटकी, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का तथा अन्य मोटे अनाज बो दिये जाते हैं। ये लोग खेती में बैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। अतः अधिकांश कार्य स्त्रियों को करना पड़ता है। कुछ बैगा लोग बैलों का प्रयोग करते

हैं। अतः बैलों को बैलवालों से ले लिया जाता है तथा उन्हें बदले में कृषि उपज का आधा भाग देना पड़ता है। यह प्रथा दीदा कहलाती है। बैगा लोग कुशल शिकारी होते हैं, ये सघन घरों में रहते हैं। जंगली पशु पक्षियों का शिकार धनुष बाण से करते हैं।

सामाजिक व्यवस्था

बैगा लोगों का जीवन सादा होता है। विवाह के अवसर पर हाथी पर बैठना बैगा लोग पसंद करते हैं किंतु उनकी दरिद्रता उन्हें हाथी उपलब्ध नहीं करा पाती है। अतः वे चारपाई का हाथी बनाकर संतोष कर लेते हैं। साल का वृक्ष पूज्य होता है। यदि पूजा के समय साल के पत्ते उनके हाथ में दे दिये जायें और कोई बात पूछी जाए तो ये सच ही बतायेंगे। ये लोग झाड़–फूंक कर बीमारियों एवं सर्पदंश को ठीक कर लेते हैं।

(3) अगरिया जनजाति

अगरिया गोड़ों की उप जनजाति है। यह मध्यप्रदेश के सीधी जिले में पाये जाते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 25844 है। अगरिया जनजाति के लोग लोह अयस्क को साफ कर लोह धातु के निर्माण में लगे हैं। ये लोग लौह अयस्क का अपनी भाषा में नामकरण करते हैं। सीधी जिले का अयस्क छावरिया, पीड़ी, कतर्रा, धरनी और जाक कहलाता है। इनके प्रमुख देवता सूर है, जिनका निवास धधकती भट्टी में माना जाता है। ये अपने देवता को प्रसन्न रखने के लिए कालीमुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। विवाह में वधू मूल्य चुकाने की प्रथा है। समाज में विधवा विवाह की स्वीकृति है। उदर की छाल को पवित्र माना जाता है। अतः विवाह में इसका प्रयोग शुभ माना जाता है।

(4) कोल जनजाति

मध्यप्रदेश के रीवा संभाग के सीधी जिले में कोल जनजाति निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 955040 व्यक्ति है। इनको कौलेरियन और भुण्डारी जनजाति भी कहते हैं। इनकी उप जातियों में रोहिया व रीठैत है।

कोल जनजाति पूर्णतः हिन्दू रीति–रिवाज में जीवनयापन करती है और ये देवी–देवताओं की उपासना करते हैं। इनकी प्रमुख देवी देवताओं में दूल्हा देव, बैरम एवं बड़े देव हैं। ये लोग भूत–प्रेत में भी विश्वास करते हैं। जादू–टोना में भी विश्वास करते हैं। यद्यपि कोल जनजाति रीवा संभाग एवं जबलपुर संभाग की प्रमुख जनजाति है। रीवा एवं सतना जिले में कोल जनजाति के अतिरिक्त अन्य जनजातियों की संख्या नगण्य है। किंतु सीधी जिले के अधिकांश ग्राम पंचायतों में कोल जनजातियों का वितरण पाया जाता है। शिक्षा, संचार, शहरीकरण, नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति तथा पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते प्रभाव के चलते इनके सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन में बदलाव व गतिशीलता आई है। जिले के जनजातीय बाहुल्य ग्रामों के प्रतिदर्श क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान सहगामी अवलोकन व साक्षात्कार से ज्ञातव्य है कि ये लोग अपने परम्परागत व्यवसाय को छोड़कर नगरों, महानगरों, शासकीय, अर्द्धशासकीय व निजी व्यापारिक व वाणिज्यिक संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे समाज के परिवार में शिक्षा, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रानिक उपकरण संचार के साधन, भाषा, वेशभूषा रीति–रिवाज आदि में काफी परिवर्तन देखा गया है। इनके बच्चे, बेटा और बेटियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपनी सेवा दे रहे हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के उद्देश्य से बड़े–बड़े नगरों, महानगरों में कोचिंग की निःशुल्क सुविधा का लाभ ले रहे हैं।

(5) पनिका जनजाति

पनिका जनजाति सीधी जिले के सभी विकासखण्ड में पायी जाती है। सामाजिक दृष्टिकोण से ये लोग बहुत सभ्य एवं साफ–सफाई के साथ जीवनयापन करते हैं। शिक्षा व राजनीति में बहुत जागरूकता पायी गई है। जिले के अन्तर्गत कई पंचवर्षीय विधायक के रूप में स्वर्गीय श्रीमती जगवा देवी, कांग्रेस पार्टी से विधायिका के रूप में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व की है। इसी प्रकार जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के चुनाव में विजयी होकर अपने क्षेत्र में राजनीतिक भूमिका का निर्वाहन कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इनमें काफी जागरूकता और गतिशीलता पायी गयी है। पनिका जनजाति धन का बौद्धिक तरीके से संचय तथा फिजूल खर्च अथवा रूपये पैसे के दुरूपयोग से दूर रहते पाये गये हैं। पश्चिमी सभ्यता, नगरीयकरण, औद्योगिकीकरण, सांस्कृतिक परिवर्तन, शिक्षा, संस्कृति व सभ्यतापूर्वक क्रियाकलाप का प्रभाव तेजी से दृष्टिगोचर हुआ है।

यद्यपि जिले में पनिका जनजाति, अपनी उपजाति और गोत्र के आधार पर उपनाम लिखा करते हैं। यहां के पनिका जनजाति के प्रमुख गोत्र–श्यामले, पनाड़िया, ताण्डिया, मौया, नेताम आदि प्रमुख नामों से जाने जाते हैं। इनके प्रमुख रीति–रिवाज, संस्कार पूर्णतः हिन्दू धर्म को मानने वाले से मिलते जुलते हैं। शादी विवाह, मृत्यु, भोज आदि के आयोजन में बहुत निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ पूर्ण करवाते हैं। पनिका समाज के लोग बच्चों के जन्म उत्सव में बरहौं संस्कार, चूड़ा कर्म, अन्नप्रासन संस्करण, नामकरण, मुंडन, कर्णवेध संस्कार इत्यादि ब्राह्मण, पण्डित व पुरोहित के द्वारा बड़ी आस्था के साथ सम्पन्न करवाते हैं।

निष्कर्षतः प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र सीधी जिले में उपर्युक्त अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त यदा–कदा भझी व अन्य जनजातियों का वितरण पाया गया है किंतु इनकी संख्या नगण्य है। जिले की बड़ी जनजातियों में सबसे प्रमुख गोड़, पनिका, बैगा आदि हैं।

जनजातियों का सामाजिक स्वरूप – सभ्यता और संस्कृति के विकास में हर समाज की भांति जनजातीय समाज का भी एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण योगदान है। जनजातीय समाज की अपनी परम्परायें और मान्यतायें होती हैं, उन परम्पराओं एवं मान्यताओं पर पर्यावरण के भौतिक तत्वों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं का आवश्यक प्रभाव पड़ता है। इनके सामाजिक जीवन में अपने समूहों तथा वर्गों में बांटने की रीतियां सन्निहित होती है। इन वर्गीकरणों द्वारा जनजातीय समाज सामान्य अस्तित्व एवं क्रियाकलापों का निष्पादन करने में सक्षम होता है।

जनजातीय समूहों के सामाजिक सभ्यरेखा में व्यक्ति का समूह से सम्बन्ध स्थापित करने वाले धारणाओं को शामिल किया जाता है। इसके अन्तर्गत समूह, गोत्र, कुल एवं परिवार की अवधारणा सन्निहित पायी जाती है। टी.सी. दास सन् 1953 में भारतीय जनजाति के सामाजिक सभ्य रेखा को सात वर्गों में विभक्त किये हैं [9] –

(1) परिवार स्थानीय समूह जनजाति
(2) परिवार गोत्र जनजाति
(3) परिवार अर्द्धक मोइटी जनजाति
(4) परिवार गोत्र कुल समूह जनजाति
(5) परिवार गोत्र कुल समूह उद्धेक जनजाति
(6) परिवार गोत्र उपजनजाति
(7) परिवार उपगोत्र चुने हुये गोत्र जनजाति

सन् 1971 में एस.सी. दुबे ने भारत के जनजाति के सामाजिक संरचना में परिवार, गोत्र कुल, समूह तथा अन्ततः जनजाति के माडल प्रस्तुत किये हैं। भारत की अधिकांश जनजातियाँ व्यक्ति, परिवार, गोत्र जनजाति श्रेणी में आती हैं। क्षेत्रीय भिन्नताओं एवं पर्यावरण के भौतिक तत्वों की भिन्नताओं के बावजूद सामाजिक संरचना का यह ढांचा समूचे जनजातीय समूहों में प्रचलित है।

व्यक्ति से लेकर जनजाति तक के सम्बन्ध क्रम का प्रारूप निम्नानुसार है–

(1) व्यक्ति – व्यक्ति का सम्बन्ध परिवार से है। एक परिवार में कई सदस्य होते हैं जो संगठित होकर परिवार के लिये कार्य करते हैं। वास्तव में सामाजिक संरचना क्रम में व्यक्ति की पहचान परिवार जैसी संस्था द्वारा की गयी है।

(2) परिवार – जिस प्रकार व्यक्ति परिवार का सदस्य होता है, ठीक उसी प्रकार परिवार का सम्बन्ध गोत्र से होता है। एक गोत्र के समस्त लोग परस्पर भातृदल के रूप में कार्य करते हैं। परिवार के बहुत सारे आचार–विचार, मान्यतायें एवं रूढ़ियों का नियमन गोत्र परम्पराओं के अनुसार मिलता है।

(3) उपगोत्र – गोत्र जनजाति का एक गोत्र समूह जब कई उपवर्गों में विभक्त हो उपगोत्र कहते हैं। जनजातीय के परिवार एक छोटी क्षेत्रीय इकाई के रूप में उपगोत्र में बटे हुये जाते हैं, जब इन उपगोत्रों का समावेश अपने से अधिक बड़ी संस्था गोत्र के रूप में होता है। गोत्र समूह (टोटम) की सभी मान्यतायें उपगोत्र हेतु आवश्यक होती है। किंतु उपगोत्र की मान्यतायें अपने गोत्र के दूसरे के लिये अनिवार्य नहीं होती है।

(4) उप जनजाति – कई गोत्र मिलकर उप जनजाति की रचना करते हैं। उदाहरण के लिये मध्यप्रदेश को गोड़ जनजाति के लगभग 32 उप जनजातीय समूह विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुये पाये जाते हैं।

(5) जनजाति – यह पूर्ण सामाजिक इकाई है जो उप समूहों, गोत्र, उपगोत्रों, परिवारों एवं व्यक्तियों को समाहित किये होती है, यथा कोल जनजाति, गोड़, लागा, थारू आदि। परिवार, गोत्र, कुल समूह आदि का स्वरूप सभी जनजातियों में मिलता है। उदाहरणार्थ उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में मेघालय के गारो, खासी आदि प्रमुख हैं। गारो जनजाति की एक उप जाति घीसाकन्द है, जो उप जनजातियों चात्वियों में विभक्त है। चात्वियों के कुछ मुख्य गोत्र भटक, मोमिन, सिन्हा था। शिरा, एरंग आदि वर्गों में विभक्त है, इसी प्रकार असम की लुटुंग जनजाति कई वार्हि विवाही गोत्रों, महारी समूहों में विभक्त है। ब्रह्मपुत्र घाटी की रामा जनजाति वृहत वोड़ो जनजाति समूह की सदस्य है। नागा जनजाति के कई समूह पाये जाते हैं, जिनमें रेगमा, नागा, छह वार्हिवाही समूहों (मिल्स 1987) में विभक्त है। प्रत्येक समूह में कई गोत्र हैं। प्रथम समूह में गोत्र दो, द्वितीय समूह ग्यारह गोत्र, तीसरे समूह दो गौत्र, चौथे समूह में चार गोत्र, पांच समूह में दो गोत्र तथा छठवें समूह में एक गोत्र हैं। इस प्रकार देखते हैं कि नागा जनजाति की एक उप जनजाति रेगना में अकेले 22 गोत्र मिलते हैं। मध्यप्रदेश के गोत्र भील एवं कोल जनजातियों में भी लगभग कुलमहूह गोत्र की वैसी परम्परायें पायी जाती हैं।
जनजातीय समाज की व्यवस्था को विधिवत समझने के लिये जनजातीय मान्यताओं एवं परम्पराओं का अध्ययन निम्नांकित 2 वर्गों में विभक्त कर किया जा सकता है [10]

(1) पारिवारिक आचार
इसके अन्तर्गत जनजातीय परिवार और जनजातियों के जीवनचक्र का समावेश होता है। भारतीय आदिवासी परिवारों के 3 वर्ग (1) पितृमूलक परिवार, (2) एक विवाही परिवार तथा (3) केन्द्रीय परिवार है। पारिवारिक आचार में संतान के पालन पोषण, संतानोपत्ति सम्बन्धी नियमन, परिवार के सदस्यों का समाजीकरण एवं संस्कृतिकरण की मुख्य कार्य है, जो पारिवारिक परम्पराओं के अनुसार किया जाता है।

(2) सामाजिक आचार
एक जनजाति के पूरे समाज द्वारा स्वीकृत होती है। टोटम पूजा, सामाजिक परम्परायें, मान्यतायें एवं रूढ़ियों का समावेश सामाजिक आचार संहिता में होता है।
उपर्युक्त दोनों ही आचारों में सामाजिक आचार सभी के लिये मान्य है जबकि पारिवारिक आचार का सम्बन्ध सम्बन्धित परिवार से होता है।

आदिवासी परिवार का जीवनचक्र (संस्कार)
परिवार संचालन में आदिवासियों के विभिन्न पारिवारिक एवं सामाजिक मान्यताओं का परिपालन करना पड़ता है। पारिवारिक कार्य समाज द्वारा मान्य होते हैं किंतु इनके संचालन का उत्तरदायित्व परिवार के मुखिया का होता है। इसलिये जैसे दायित्वों का समावेश पारिवारिक जीवन चक्र के अन्तर्गत किया जाना उचित है। आदिवासी परिवार द्वारा किये जाने वाले दायित्व परम्पराओं के अनुसार निम्नलिखित है –

(1) नामकरण
संतानोपत्ति के अवसर पर विभिन्न प्रकार के आयोजन जनजातियों द्वारा किये जाते हैं। आयोजन के समय पैदा होने वाले शिशुओं की जनजातियों में नामकरण की अबाध जन्म के समय से अलग–अलग पायी जाती है। उदाहरण के लिये भील जनजाति 24 घण्टे के अवधि के अन्दर नामकरण संस्कार पूर्ण कर लेते हैं, जबकि मुण्डा, बैगा एवं माड़िया जनजाति में क्रमशः एक से दो सप्ताह के अन्दर दो सप्ताह में तथा तीन या चार सप्ताह के अन्दर पूर्ण करते हैं। नामकरण के दिन घर की लिपाई, पुताई कर स्वच्छ करने की प्रथा है। प्रसवती नहाती धोती है, इसके बाद बच्चे का नामकरण किसी पर्वत, नदी, दिन, महीना, ऋतु, जानवर आदि के नाम पर कर दिया जाता है। आदिवासियों में पुत्र की जगह यदि पुत्री पैदा होती है तो अधिक उल्लास मनाया जाता है। नामकरण संस्कार में पुरोहितों की मदद ली जाती है।

(2) विवाह संस्कार
आदिवासी विवाह के दो प्रचलित रूप पाये जाते हैं – (1) एक विवाह (2) बहुविवाह जनजातीय प्रथाओं के अनुसार 2 प्रकार का होता है (1) बहुपत्नी विवाह प्रथा (2) बहुपति विवाह प्रथा। म.प्र. के गोड़, भील, बिझवार, बैगा, कोल आदि जनजातियों में बहुपत्नी विवाह की प्रथा अभी भी प्रचलित पायी जाती है। इसलिये झाबुआ जिले के अलीराजपुर तहसील जनजातीय 1000 पुरूषों पर 1018 महिलायें तथा बस्तर जिले के दरभा विकासखण्ड में 1068 महिलायें प्रति हजार पुरूषों के अनुपात में मिलती हैं। जनजातियों में बहुपति विवाह परम्परायें प्रचलित मिलती है। उदाहरण के लिये दक्षिण भारत के नीलगिरि पर्वत में निवास करने वाली टोड़ा जनजाति, देहरादून की जनजाति लछाखी, किन्नौर, दक्षिण भारत में इटावा, नायर, तिथास, काम्भलास, मानम, पुल, पूर्वोत्तर, भारत की मोटिया एवं लेप्चा जनजातियों में बहुपति विवाह का प्रचलन पाया जाता है।
अन्य समाज की तुलना में आदिवासी जनों में विवाह सम्बन्धी सीमायें अधिक विस्तृत हैं। यद्यपि सीधी जिले के जनजाति समाज में बहुपत्नी विवाह एवं बहुपति विवाह तथा विधवा विवाह का प्रचलन पाया गया है परन्तु अब धीरे–धीरे सामाजिक बदलाव, शिक्षा और संचार व्यवस्था तथा कानूनी सुधार के चलते उपर्युक्त प्रचलन में सुधार की स्थिति पायी गई है।
जिले के प्रति चयनित आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड कुसमी एवं जिले के अन्य विकासखण्डों में निवासरत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के क्षेत्रीय अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि बहुपत्नी विवाह का प्रचलन सर्वाधिक गोड़ समाज और बैगा जनजाति में पाया गया है। जिले के कुल 30 आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के अनुसूचित जनजाति समुदाय से लिये गये 300 परिवारों से

साक्षात्कार से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों से यहां के जनजातीय समाज का वास्तविक प्रतिदर्शी सामाजिक स्वरूप, उनके संस्कार, रीति–रिवाज, धार्मिक आस्था, विश्वास, परम्पराएँ एवं सांस्कृतिक स्वरूप को प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है।
जिले के जनजाति समुदाय में तलाक एवं सम्बन्ध विच्छेद की परम्परा धीरे–धीरे कम हो रही है। क्षेत्रीय अध्ययन में पाया गया कि कुल विवाहितों में से 04 प्रतिशत पुरूष, 05 प्रतिशत महिलाएं ऐसी ज्ञात हुई है जो विवाह विच्छेद और तलाक से ग्रसित है। यहां की जनजातियों में अल्प आयु में लड़के–लड़कियों के विवाह की प्रथा में कमी आई है, अब ये लोग इस कुप्रथा को छोड़कर विशेषकर शिक्षित जनजाति परिवार के लोगों में यह समस्या नहीं है। शिक्षित लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद विवाह करने के पक्ष में पाये गये हैं किंतु अशिक्षित, निरक्षर और गरीब परिवार के लोग अभी इस कुप्रथा के शिकार बने हुए हैं। बैगा जनजाति, अगरिया आदि लोगों में अभी भी अल्प आयु में विवाह करने के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किये हैं।

(3) पुरोहिती –
चूंकि जनजातियों द्वारा विभिन्न प्रकार के सामाजिक संस्कारों, मान्यताओं, टोटके आदि का प्रचलन है। अतः इन कार्यों के सम्पादन हेतु पुरोहित वर्ग की आवश्यकता होती है। पुरोहित सिर्फ धर्म गुरू नहीं होता बल्कि बीमार की दवाई, प्राकृतिक प्रकोप से निपटने के उपाय, टोटम की व्याख्या तथा अपने समूह के लोगों को संस्कार की शिक्षा प्रदान करना भी होता है। पुरोहित वर्ग में पद्यन, महतो एवं पुजारी होते हैं। पुरोहिती के प्रथम दो चयन पंचायतों द्वारा तृतीय (पुजारी) वंश परम्परा के अनुसार होता है। पुरोहितों की आजीविका सन्ना (यजमान के दान) से चलती है।

(4) टोटम –
दुर्खीम महोदय के अनुसार टोटमवाद में अन्तर्निहित मूलभूत विश्वास रहस्यात्मक पवित्र शक्ति का विश्वास है। टोटम के प्रतिभय एवं आदर का भाव होता है। टोटम एक प्रतीक होता है जो प्रकृति के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं को आत्मसात किये हुये है। भारतीय जनजातियों के प्रत्येक गोत्र के लोग किसी पशु या पौधों को टोटम के रूप में स्वीकार किये हैं, जो उनके लिए अति पवित्र होती है। टोटम को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है।

टेबू (वर्जना) टोटम की भांति टैबू में धार्मिक पक्ष निहित पाया जाता है जो विश्वास की एक नकारात्मक प्रथा है। वास्तव में टैबो का सम्बन्ध दानवी शक्तियों के रूप में अन्तर्निहित होने के कारण वर्जित है।

(5) उत्सव
हिन्दू प्रभाव के कारण जनजातियों में भिन्न प्रकार के उत्सवों का आयोजन होता है किंतु इन उत्सवों का असली स्वरूप जनजातीय हाट मडई एवं भगोरिया में देखने को मिलता है।

मडई – मडई गोड़ बहुल जनजातीय क्षेत्रों में आयोजित ऐसी संस्था है जहां दूर–दूर से लोग अपने परिवार एवं वस्तुओं के साथ शामिल होने के लिये जाते हैं –
(1) दूरदराज के बंधु–बांधवों से भेंट।
(2) शादी–विवाह एवं अन्य संस्कारों का सम्पादन।
(3) धार्मिक कृत्यों के सम्पादन हेतु।
(4) नवीन जानकारी हेतु।
(5) अपने वस्तुओं के विपणन हेतु।
(6) अपने आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने हेतु।

तालिका क्र. 1: सीधी जिले में उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवरण

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	निरक्षर	42	14.00
2.	प्राथमिक	174	58.00
3.	माध्यमिक	38	12.67
4.	हाई स्कूल	20	6.67
5.	हायर सेकेण्ड्री	12	4.00
6.	स्नातक	8	2.67
7.	स्नातकोत्तर	6	2.00
योग		300	100.00

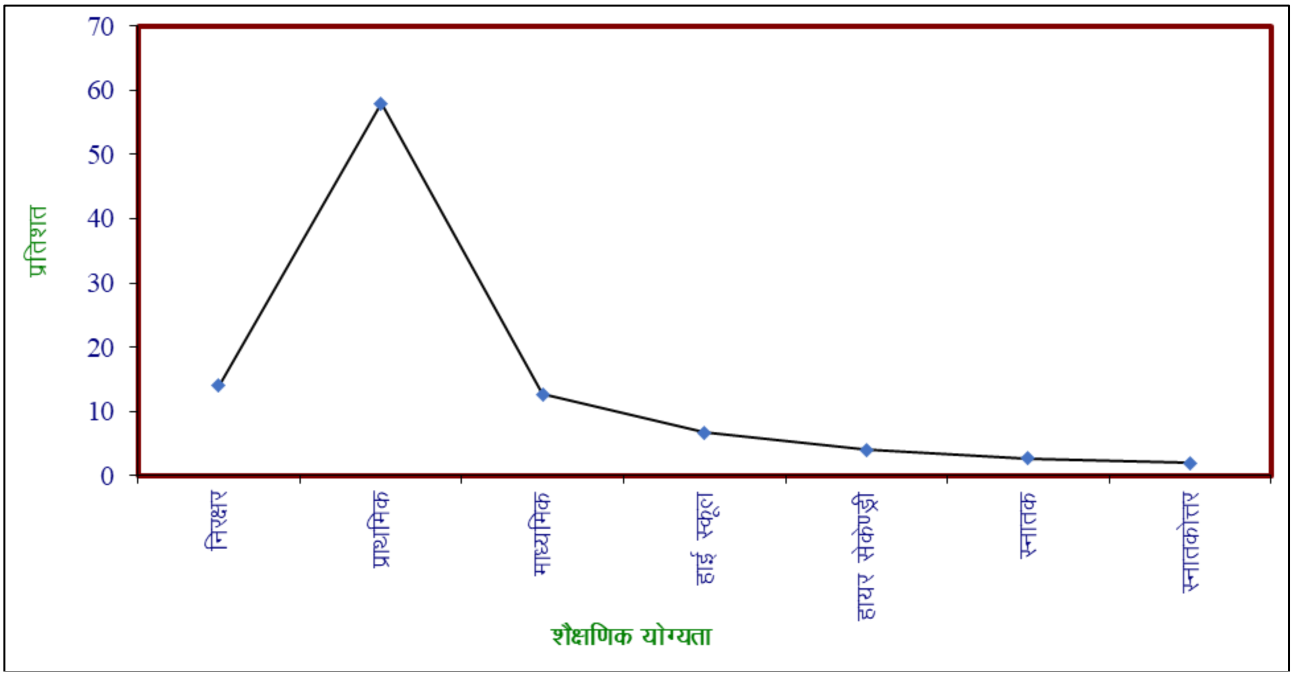

आरेख क्र. 1: सीधी जिले में उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यताओं का आरेखीय निरूपण

उपरोक्त तालिका 1 से स्पष्ट होता हैं कि 58.00 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले पाये गये। वही स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त 2.00 प्रतिशत पाए गये। माध्यमिक एवं हाईस्कूल की 12.67 एवं 6.67 प्रतिशत उत्तरदाता पाए गये। उसी प्रकार हायर सेकेण्डरी एवं स्नातक शिक्षा प्राप्त उत्तरदाता 4.00 प्रतिशत और 2.67 प्रतिशत उत्तरदाता पाए गये। अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते है कि सर्वाधिक 58.00 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हैं। शिक्षा का निम्न स्तर पाये जाने का कारण सीधी जिला अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्र होने के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर तथा प्रकृति प्रेमी होने के कारण समाज के मुख्य धारा से दूर हैं।

तालिका क्र.2: सीधी जिले में जनजातियों का स्वरूप संबंधी विवरण

क्र.	कथन	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
1.	हिन्दू धर्म के अनुरूप रीति–रिवाज को मानते है	276	92.00	24	8.00
2.	आप धर्म आस्था पर विश्वास करते है	262	87.33	38	12.67
3.	नृत्य, उत्सव एवं वाद्य यंत्र आपको अच्छा लगता है	255	85.00	45	15.00
4.	शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है	159	53.00	141	47.00

उपरोक्त तालिका 2 से स्पष्ट होता हैं कि 92.00 प्रतिशत हिन्दू धर्म के अनुरूप रीति–रिवाज मानते है, धर्म आस्था पर 87.33 प्रतिशत विश्वास करते है। नृत्य, उत्सव एवं वाद्य यंत्र 85.00 लोगों को अच्छा लगता है और वहीं पर 53.00 प्रतिशत लोगों द्वारा जानकारी दी गई कि शासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः अध्ययन क्षेत्र सीधी जिले की जनजातियों का उपर्युक्त सामाजिक समूह, हिन्दू धर्म के अनुरूप रीति–रिवाज, संस्कृति, संस्कार, धार्मिक मान्यताएं, नृत्य, उत्सव, बाद्य यंत्र, सामाजिक दशाओं इत्यादि से ओत–प्रोत है। जिले की जनजातियों के सामाजिक स्वरूप के निर्धारण में स्थानीय भौतिक पर्यावरण का अत्यधिक प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है। जिले की जनजातियों के गोत्र, रीति–रिवाज, त्यौहार, उत्सव आदि पर प्रभाव, स्थानीय भौतिक परिस्थितियों का भरपूर योगदान है।

सन्दर्भ :

1. तिवारी, चन्द्रमणि प्रसाद– आशा पब्लिकेसन्स, बाई पास रोड, आगरा, 2003, 35–36
2. ए वेन्स – सेन्सस आफ इण्डिया रिपोर्ट, Part-I, 1998;1:519
3. डब्लू.सी. स्मिथ –"द आओ नागा", हाइड अंक, असाम लन्दन. 1925
4. जे हट्टन – सेन्सस रिपोर्ट आफ इण्डिया, वाल्यूम, नई दिल्ली 1936
5. एलविन – द बैगा ट्राइब्स, लन्दन, 1939, 519
6. मसकरे, शैलवन्ती – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की सामाजिक एवं नेतृत्व विकास पर पंचायत राज का प्रभाव (मध्यप्रदेश के मंडला जिले के विशेष संदर्भ में), Golden Research Thoughts 2016;6 (1):1-6.|
7. Census. District Census Hand Book, District Sidhi (M.P.), Part-2, 2011.
8. तिवारी, चन्द्रमणि प्रसाद जनजातीय पर्यावरण, प्रथम संस्करण, आशा पब्लिसिंग, आगरा, 2003, 49–50
9. तिवारी, चन्द्रमणि प्रसाद – जनजातीय पर्यावरण, प्रथम संस्करण, आशा पब्लिसिंग, आगरा (उ.प्र.), 2003, 46–47
10. तिवारी, चन्द्रमणि प्रसाद – जनजातीय पर्यावरण, प्रथम संस्करण, आशा पब्लिसिंग, आगरा (उ.प्र.), 2003, 48–49